आर.सी.एम.एस. नम्बर 2025/347

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारीः— सुमन देवी
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

मुकदमा नम्बर :— 144/2025 (धारणा वगै0 बनाम महिपेन्द्र वगै0)

निर्णय दिनांक :—29.12.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, सुमन देवी(आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि

मुकदमा में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 29.12.2025 द्वारा पारित निर्णयानुसार जमीन जैर बहस वाके ग्राम डाबड़ी धीरसिंह में खाता संख्या 169 के ख0न0 213, 216 कुल किता 2 कुल रकबा 8.59 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्से में आने वाली भूमि में से वादीगण प्रत्येक को 1/3—1/3 हक हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 का जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादीगण के हक हिस्से की भूमि को विक्रय, रहन ना करें, वादीगण को उनके हक हिस्से कीभूमि से बेदखल ना करे।दावा फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 29.12.2025 को जारी की गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

(सुमन देवी)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर